वन विभाग, हरियाणा
आवश्यक सूचना–7
(काष्ठ आधारित उद्योग)

राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा द्वारा राज्य में नये काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित करने हेतू दिनांक 10.06.2017 से 09.07.2017 तक ऑनलाइन मोड में विभागीय वैबसाईट www.haryanaforest.gov.in (सम्बन्धित लिंक :http://164.100.137.122) पर आवेदन आमंत्रित किये गये थे। राज्य स्तरीय समिति द्वारा उपरोक्त समयावधि में काष्ठ आधारित उद्योगों के विभिन्न श्रेणियों के अनुसार कुल 2622 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसका श्रेणी अनुसार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

क्र. सं.	श्रेणी का नाम	कुल आवेदन प्राप्त हुए
1.	प्लाईवुड यूनिट (Plywood Unit)	590
2.	वेनियर मिल (Veneer Mill)	428
3.	सॉ मिल (Saw Mill)	1111
4.	एकल प्रेस (Standalone Press)	374
5.	एकल स्लाइसर (Standalone Slicer)	24
6.	एकल चिपर (Standalone Chipper)	95
	कुल योग	2622

राज्य स्तरीय समिति द्वारा आवेदन से सम्बन्धित जारी की गई नियम तथा शर्तों को ध्यान में रखते हुए सभी प्राप्त आवेदनों की छानबीन कर ली गई है। सभी प्राप्त आवेदनों से सम्बन्धित, राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय का ब्यौरा विभागीय वैवसाइट www.haryanaforest.gov.in (सम्बन्धित लिंक :http://164.100.137.122) पर उपलब्ध है। यह ब्यौरा लाइसेंस श्रेणीयां (प्लाईवुड यूनिट, वेनियर मिल, सॉ मिल) तथा रजिस्ट्रेशन श्रेणियां (एकल प्रेस, एकल स्लाइसर, एकल चिपर) के लिए अंलग–अलग दिया गया है। जिन आवेदनों को राज्य स्तरीय समिति द्वारा लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन जारी करने हेतू अनुमोदन किया गया है उन्हें शीघ्र ही ऑनलाइन मोड में प्रस्ताव पत्र (Offer Letter) जारी किये जा रहे हैं।

अनुमोदित आवेदनों से सम्बन्धित आवेदनकर्ता द्वारा ऑफर लैटर प्राप्त होने के बाद, निम्नप्रकार से कार्यवाही की जानी है।

1. जिन आवेदनो को राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमति दी गई है उस से सम्बन्धित आवेदनकर्ता को प्रस्ताव पत्र (Offer Letter) तथा स्वीकार पत्र (Acceptance Letter) आनलाइन मोड में भेजा जाएगा जिसके बारे में उसे SMS द्वारा भी सूचित किया जाएगा।
2. प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के बाद आवेदक अगर लाईसेंस लेने के लिए इच्छुक है तो उसे हस्ताक्षरित स्वीकार पत्र ऑनलाइन मोड़ में भेजना होगा। इस पत्र के अलावा आवेदक को प्रस्ताव पत्र में अकिंत की गई बकाया राशि (एक मुश्त राशि की बकाया राशि तथा लाईसैंस/रजिस्ट्रेशन फीस) जमा करनी होगी। इस राशि का भुगतान आवेदक वैबसाईट पर उपल्बध पेमेंट गेट वे द्वारा कर सकता है या बैंक चालान (भारतीय स्टेट बैंक तथा आन्ध्रा बैंक) के माध्यम से कर सकता हैं। भुगतान अगर चालान द्वारा किया जाता है तो बैंक द्वारा जारी की गई चालान भुगतान की रसीद आवेदक को स्वीकार पत्र के साथ ऑनलाइन मोड में भेजनी होगी।
3. इसके अलावा आवेदक द्वारा उसके श्रेणी को लागू एक मुश्त राशि के समतुल्य बैंक गारण्टी पत्र ऑनलाइन मोड में प्रस्तुत करना होगा।
4. वेबसाइट पर सभी आवेदनों के बारे में लिए गये निर्णय के बारे में ब्यौरा दिया गया है। अगर किसी आवेदन के रिमार्कस कॉलम में अनुमति के साथ कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है तो ऐसे आवेदक सम्बन्धित दस्तावेज भी ऑनलाइन मोड में प्रस्तुत करेंगे।

5. प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के उपरांत अगर आवेदक स्वीकार पत्र (Acceptance Letter) में लाइसेंस लेने के लिए मना करता है तो पूर्व में जारी की गई नियम एंव शर्तों के अनुसार उस द्वारा जमा की गई बयाना राशि वापिस नहीं की जायेगी।

6. जिस आवेदक को प्रताव पत्र जारी किया गया है उस द्वारा प्रस्ताव पत्र जारी होने की तिथि से एक महीने के अन्दर–अन्दर स्वीकार पत्र तथा अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा व सम्बन्धित राशि का भुगतान करना होगा।

7. जिन आवेदनों को राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमति दी गई है तथा आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूरी कर ली गई है, उन्हें ऑनलाइन मोड में लाइसेंस पत्र/रजिस्ट्रेशन पत्र भेज दिया जायेगा। जिसकी प्रति सम्बन्धित जिले के वन मण्डल अधिकारी को भी ऑनलाइन मोड़ में भेजी जायेगी। आवेदक द्वारा ऑनलाइन मोड़ में लाइसेंस पत्र/रजिस्ट्रेशन पत्र प्राप्त होने के बाद वह सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के कार्यालय से हस्ताक्षरित एंव अधिकृत लाइसेंस पत्र प्राप्त कर सकता है।

जिन आवेदनों को अनुमोदित कर दिया गया है ऐसे आवेदनों से सम्बन्धित आगामी उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतू आवेदनकर्ता सम्बन्धित जिले के वन मण्डल अधिकारी कार्यालय से सहायता प्राप्त कर सकता है। जिन आवेदनों को राज्य स्तरीय समिति द्वारा अस्वीकृत किया गया है, ऐसे आवेदनों के रिमार्कस कॉलम में अस्वीकृत करने के कारण भी अंकित किये गये हैं। अस्वीकृत आवेदनों से सम्बन्धित आवेदनकर्ता अगर इस विषय में कोई ज्ञापन देना चाहते हैं तो वह उक्त ज्ञापन मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा–1, एंव सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा, सी–18, वन भवन, सैक्टर–6, पंचकूला को भेज सकते हैं।

यहां यह भी सूचित किया जाता है कि चूंकि रजिस्ट्रेशन श्रेणी में आने वाले काष्ठ आधारित उद्योग प्रत्यक्ष रूप से काष्ठ की खपत नहीं करते हैं, इसलिए इन श्रेणियों (standalone category) के लिए आवेदन प्राप्त करने की समयावधि को सीमित नहीं रखा गया था। अब राज्य स्तरीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रजिस्ट्रेशन श्रेणी से सम्बन्धित काष्ठ आधारित उद्योग (एकल प्रेस, एकल स्लाइसर, एकल चिपर) के लिए अगर कोई आवेदक इच्छुक है तो वह अभी भी विभागीय वैबसाइट www.haryanaforest.gov.in तथा काष्ठ आधारित उद्योग के आवेदन से सम्बन्धित लिंक :http://164.100.137.122 पर दिनांक 16.08.2017 तक आवेदन कर सकता है। इस तिथि के बाद रजिस्ट्रेशन श्रेणी के लिए आवेदन प्राप्त नहीं किये जायेंगे।

28/7/2017

मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा–1, एंव सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा,
सी–18, वन भवन, सैक्टर–6, पंचकूला।

28/7

2